न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 65/2024

तारीख दायरः– 06.12.2024
तारीख निर्णयः–21.05.2025

1. श्रीमती गीता देवी पिता स्व. श्री गेहरीलाल व्यास निवासी बाघपुरा तहसील झाडोल।

.........वादीगण

बनाम

1. श्री हीरालाल पिता स्व. श्री गेहरीलाल व्यास निवासी प्रताप कॉलोनी बडगांव।
2. दुर्गाबाई पिता स्व. श्री गेहरीलाल व्यास पत्नी श्री पन्नालाल ब्राहमण निवासी बडगांव।
3. भगवतंती शर्मा पिता स्व. श्री गेहरीलाल व्यास पत्नी सोहनलाल शर्मा पुरोहितो की मादडी उदयपुर।
4. श्री जगदीश पिता स्व. श्री गेहरीलाल व्यास निवासी प्रताप कॉलोनी बडगांव।
5. पुष्पा शर्मा पिता स्व. श्री गेहरीलाल व्यास पत्नी टीकम चन्द्र शर्मा निवासी बडगांव।
6. निर्मला पिता स्व. गेहरीलाल व्यास, पत्नी कुपाशंकर शर्मा निवासी बडगांव।
7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार झाडोल।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए आर.टी.एक्ट.

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री मनीष श्रीमाली

प्रतिवादी की ओर से– प्रतिवादीगण स्वयं

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 की माता नवलीबाई की मृत्यु दिनांक 16.01.2020 को हो गई थी। वादीया और प्रतिवादी संख्या 01 से 06 मृतक नवलीबाई के विधिक वारिसान है। स्व. नवलीबाई के स्वामित्व एवं आधिपत्य की मौजा माणस पटवार हल्का माणस में आराजी नम्बर 1324, 1326, 1327, 1328, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2658, 2659, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2713, 2714, 2715, 637 किता 21 कुल रकबा 4.0100 है0 एवं आराजी नम्बर 2700 रकबा 0.0200 है0 भूमि स्थित है। वादीया द्वारा स्व. नवलीबाई की मृत्यु उपरान्त उनके नाम दर्ज भूमि का नामान्तरकरण वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के नाम दर्ज करवाने हेतु आवेदन किया, परन्तु प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा सहमति जाहिर नही किये जाने से राजस्व अधिकारियों द्वारा नामान्तरकरण दर्ज किये जाने में असहमति जाहिर किये जाने से वादीया द्वारा माननीय न्यायालय में उक्त वाद संस्थित किया गया है। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 स्व. नवलीबाई के विधिक वारिसान है। ऐसी स्थिति में स्व. नवलीवाई के नाम दर्ज भूमि का नामान्तरकरण वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के नाम दर्ज किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः निवेदन किया गया कि वादीया का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादपत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित भूमि में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 प्रत्येक को 1/7–1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाये जाने की डिकी जारी कराने का आदेश प्रदान करावें।

उपखण्ड अधिकारी
झाड़ोल, जिला-उदयपुर

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में ईकबालिया जवाब दावा पेश किये जाने से प्रकरण में तनकियात कायम नही की गई। वादी की साक्ष्य में गवाह स्वयं वादीया का शपथ पत्र पेश हुआ, जिसे शामिल मिसल किया गया एवं वादी की साक्ष्य बन्द की गई। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफ बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने वादपत्र में अंकित किये है।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रतिवादीगण द्वारा वादीया द्वारा किये गये कथनों को अपने जवाब दावे से स्वीकार किया है। वादी अधिवक्ता की बहस एवं प्रतिवादीगण द्वारा पेश जवाब दावें के आधार पर वादीया का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा माणस पटवार हल्का माणस में स्थित आराजी नम्बर 1324, 1326, 1327, 1328, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2658, 2659, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2713, 2714, 2715, 637 किता 21 कुल रकबा 4.0100 है0 एवं आराजी नम्बर 2700 रकबा 0.0200 है0 भूमि में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 प्रत्येक को 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल कुमार कोठारी)
उपखण्ड अधिकारी
झाडोल, उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
झाडोल, जिला-उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर (राज.)

वाद डिक्री

पीठासीन अधिकारीः– श्री कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 65 / 2024

1. श्रीमती गीता देवी पिता स्व. श्री गेहरीलाल व्यास निवासी बाघपुरा तहसील झाडोल।

.........वादी

बनाम

1. श्री हीरालाल पिता स्व. श्री गेहरीलाल व्यास निवासी प्रताप कॉलोनी बडगांव।
2. दुर्गाबाई पिता स्व. श्री गेहरीलाल व्यास पत्नी श्री पन्नालाल ब्राहमण निवासी बडगांव।
3. भगवतंती शर्मा पिता स्व. श्री गेहरीलाल व्यास पत्नी सोहनलाल शर्मा पुरोहितो की मादडी उदयपुर।
4. श्री जगदीश पिता स्व. श्री गेहरीलाल व्यास निवासी प्रताप कॉलोनी बडगांव।
5. पुष्पा शर्मा पिता स्व. श्री गेहरीलाल व्यास पत्नी टीकम चन्द्र शर्मा निवासी बडगांव।
6. निर्मला पिता स्व. गेहरीलाल व्यास, पत्नी कुपाशंकर शर्मा निवासी बडगांव।
7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार झाडोल।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.एक्ट.

परिथत– वादी की ओर से– श्री मनीष श्रीमाली

प्रतिवादी की ओर से– प्रतिवादीगण स्वयं

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 21.05.2025 को प्रस्तुत होने पर वादी का द बहक वादी डिक्री किया जाता है मौजा माणस पटवार हल्का माणस में स्थित आराजी नम्बर 24, 1326, 1327, 1328, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2658, 2659, 2702, 2703, 2704, 05, 2706, 2707, 2713, 2714, 2715, 637 किता 21 कुल रकबा 4.0100 है0 एवं आराजी नम्बर 00 रकबा 0.0200 है0 भूमि में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 प्रत्येक को 1/7 हिस्से का तेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(कपिल कुमार कोठारी)
उपखण्ड अधिकारी
झाडोल, जिला उदयपुर